



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस विज्ञप्ति सं0-1686

दिनांक- 16.09.2026

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- बंथरा, कृष्णानगर के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से किया गया निष्कासित (जिला बदर)-

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नलिखित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत गुण्डा घोषित किया गया है।

क्र0सं0	थाना	नामपता विपक्षी जो जिलाबदर हुये	जिला बदर की अवधि
1	बंथरा	आदित्य द्विवेदी उम्र- करीब 33 वर्ष पुत्र कृष्ण कुमार द्विवेदी निवासी- कस्बा बंथरा निकट हनुमान मंदिर थाना- बंथरा, लखनऊ।	06 माह (जिलाबदर)
2	कृष्णानगर	सूरज कुमार वर्मा उम्र- करीब 32 वर्ष पुत्र रामनाथ लोधी उर्फ रामनाथ वर्मा निवासी-551छ/63 पूरन नगर सरदारीखेड़ा, थाना-कृष्णानगर, लखनऊ।	06 माह (जिलाबदर)



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1685

दिनांक-16.09.2026

जोन-उत्तरी / थाना- मलिहाबाद

- थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा जानलेवा हमले के आरोपी, 01 अभियुक्त द्वारा थाने पर स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण तथा अन्य 02 अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2026 को ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद स्थित दुर्गेश जनसेवा केन्द्र के पास समरेन्द्र कुमार यादव को गोली मारकर घायल किये जाने के सम्बन्ध में थाना मलिहाबाद पर वादी मुकदमा श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र उमा शंकर यादव निवासी ग्राम सैफलपुर थाना काकोरी लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण, घटना में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा घटना में प्रयुक्त अवैध असलहे की बरामदगी हेतु लगातार पतारसी सुरागरसी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त में नामित वांछित अभियुक्त अभय यादव उर्फ छोटू पुत्र निर्भय यादव उर्फ राज उर्फ निर्मेश निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा दिनांक 15.09.2026 को थाना मलिहाबाद पर स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया अभियुक्त अभय यादव की जामातलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

वहीं मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण अंकुश यादव उर्फ मौत पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नन्हू निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष तथा कालाचीता उर्फ वैभव पुत्र सुभाष रावत निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा तलाश एवं दबिश की कार्यवाही के दौरान दिनांक 15/09/2026 को समय करीब 22:30 बजे घोला तिराहे के पास मोहान रोड थाना मलिहाबाद लखनऊ से विधिवत गिरफ्तार किया गया।

तीनों अभियुक्तगण को घटना के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार/आत्मसमर्पित अभियुक्तगण से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से प्राप्त तथ्यों के आधार पर घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की तलाश एवं घटना में प्रयुक्त अवैध असलहे की बरामदगी हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

उक्त प्रकरण में दिनांक 14.09.2026 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये एक बालअपचारी द्वारा स्वयं थाना मलिहाबाद पर आत्मसमर्पण किया जा चुका है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अभय यादव उर्फ छोटू पुत्र निर्भय यादव उर्फ राज उर्फ निर्मेश निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ, उम्र करीब 19 वर्ष, (व्यवसाय- घरेलू काम काज व आम के मौसम मे आढत का काम करता है।)
(थाने पर स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया।)
2. अंकुश यादव उर्फ मौत पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नन्हू निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ, उम्र करीब 18 वर्ष। (व्यवसाय- गार्ड की नौकरी करता है।)
3. कालाचीता उर्फ वैभव पुत्र सुभाष रावत निवासी ग्राम सैफलपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ, मूल/स्थायी पता ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।(व्यवसाय- गार्ड की नौकरी करता है।)

05-बरामदगी –

➤ 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस।

06- आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1. अभय यादव उर्फ छोटू पुत्र निर्भय यादव उर्फ राज उर्फ निर्मेश-

1-मु0अ0सं0 255/2025 धारा 115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना मलिहाबाद कमि0 लखनऊ।

2- मु0अ0सं0 100/2026 धारा 324(2)/326(F)/351(2)/352 बीएनएस b 3(1) द , ध/3(2) 5a) Sc/St act थाना मलिहाबाद कमि0 लखनऊ।

3-मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

2.अंकुश यादव उर्फ मौत पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नन्हू

1.मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

3. कालाचीता उर्फ वैभव पुत्र सुभाष रावत

1.मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

07-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 सुशील कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 विकास मलिक, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1685

दिनांक-16.09.2026

जोन-उत्तरी / थाना- मलिहाबाद

- थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा जानलेवा हमले के आरोपी, 01 अभियुक्त द्वारा थाने पर स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण तथा अन्य 02 अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2026 को ग्राम ढेढेमऊ थाना मलिहाबाद स्थित दुर्गेश जनसेवा केन्द्र के पास समरेन्द्र कुमार यादव को गोली मारकर घायल किये जाने के सम्बन्ध में थाना मलिहाबाद पर वादी मुकदमा श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र उमा शंकर यादव निवासी ग्राम सैफलपुर थाना काकोरी लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण, घटना में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा घटना में प्रयुक्त अवैध असलहे की बरामदगी हेतु लगातार पतारसी सुरागरसी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त में नामित वांछित अभियुक्त अभय यादव उर्फ छोटू पुत्र निर्भय यादव उर्फ राज उर्फ निर्मेश निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष द्वारा दिनांक 15.09.2026 को थाना मलिहाबाद पर स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया अभियुक्त अभय यादव की जामातलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

वहीं मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण अंकुश यादव उर्फ मौत पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नन्हू निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष तथा कालाचीता उर्फ वैभव पुत्र सुभाष रावत निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा तलाश एवं दबिश की कार्यवाही के दौरान दिनांक 15/09/2026 को समय करीब 22:30 बजे घोला तिराहे के पास मोहान रोड थाना मलिहाबाद लखनऊ से विधिवत गिरफ्तार किया गया।

तीनों अभियुक्तगण को घटना के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार/आत्मसमर्पित अभियुक्तगण से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ से प्राप्त तथ्यों के आधार पर घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की तलाश एवं घटना में प्रयुक्त अवैध असलहे की बरामदगी हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

उक्त प्रकरण में दिनांक 14.09.2026 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये एक बालअपचारी द्वारा स्वयं थाना मलिहाबाद पर आत्मसमर्पण किया जा चुका है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अभय यादव उर्फ छोटू पुत्र निर्भय यादव उर्फ राज उर्फ निर्मेश निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ, उम्र करीब 19 वर्ष, (व्यवसाय- घरेलू काम काज व आम के मौसम में आढत का काम करता है।)
(थाने पर स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया।)
2. अंकुश यादव उर्फ मौत पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नन्हू निवासी ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ, उम्र करीब 18 वर्ष। (व्यवसाय- गार्ड की नौकरी करता है।)
3. कालाचीता उर्फ वैभव पुत्र सुभाष रावत निवासी ग्राम सैफलपुर थाना काकोरी जनपद लखनऊ, मूल/स्थायी पता ग्राम तिलसुवा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।(व्यवसाय- गार्ड की नौकरी करता है।)

05-बरामदगी –

➤ 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस।

06- आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1. अभय यादव उर्फ छोटू पुत्र निर्भय यादव उर्फ राज उर्फ निर्मेश-

1-मु0अ0सं0 255/2025 धारा 115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना मलिहाबाद कमि0 लखनऊ।

2- मु0अ0सं0 100/2026 धारा 324(2)/326(F)/351(2)/352 बीएनएस b 3(1) द , ध/3(2) 5a) Sc/St act थाना मलिहाबाद कमि0 लखनऊ।

3-मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

2.अंकुश यादव उर्फ मौत पुत्र ओमप्रकाश उर्फ नन्हू

1.मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

3. कालाचीता उर्फ वैभव पुत्र सुभाष रावत

1.मु0अ0सं0 175/2026 धारा 109(1)/61(1) बीएनएस व वृद्धि धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

07-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 सुशील कुमार, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 विकास मलिक, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1688

दिनांक-16.09.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर विस्तार

- थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन छीनने वाले 02 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा लिया गया।
- कब्जे से 09 अदद मोबाइल फोन, ₹2,000 नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम रामनगर, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी द्वारा थाना गोमतीनगर विस्तार पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 14.09.2026 को समय करीब 17:30 बजे वह रामआसरे पुरवा, खरगापुर, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में टाइल्स लोडिंग का कार्य करने आये थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा उनका रियलमी मोबाइल फोन छीनकर भाग जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया गया।

उक्त सूचना के आधार पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु०अ०सं० 167/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन तथा सुरागरसी-पतारसी के आधार पर अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. राज चौरसिया पुत्र शारदा चौरसिया उम्र करीब 19 वर्ष एवं 2. ऋषभ शर्मा पुत्र राकेश शर्मा उम्र करीब 20 वर्ष तथा एक बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को पूछताछ हेतु थाना लाया गया।

अभियुक्तगण की निशानदेही एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर एक अन्य बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को दिनांक 15.09.2026 को रात्रि करीब 23:40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अभियुक्तगण एवं बाल अपचारियों के कब्जे/निशानदेही से 09 अदद मोबाइल फोन, ₹2,000 नगद तथा घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल, रंग काला, वाहन संख्या UP32QV8429 बरामद की गई।

मु०अ०सं० 167/2026 से सम्बन्धित रियलमी मोबाइल फोन अभियुक्तगण द्वारा राह चलते व्यक्ति को ₹2,000 में बेच दिया गया था, जिसके कारण उक्त मोबाइल फोन बरामद न होकर उसकी बिक्री से प्राप्त ₹2,000 नगद बरामद हुए। अभियुक्तगण राज चौरसिया एवं ऋषभ शर्मा तथा दोनों बाल अपचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अनावरित अभियोग -

1. मु०अ०सं० 167/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ
2. मु०अ०सं० 418/2026 अन्तर्गत धारा- 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर लखनऊ है।
3. मु०अ०सं० 169/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ (पंजीकृत)

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राज चौरसिया पुत्र शारदा चौरसिया निवासी ग्राम खरावां थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी हाल पता (किराये का मकान) शारदा टिम्बर चौराहे के पास खरगापुर थाना गो0 विस्तार लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष
2. ऋषभ शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी निवासी गंगोत्री विहार कालोनी छोटा भरवारा थाना गो0 विस्तार लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04-पुलिस अभिरक्षा में लिये गये का विवरण

- 02 बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष

05-बरामदगी का विवरण-

कुल 09 अदद मोबाइल फोन, जिनका विवरण निम्नवत है-

- VIVO Y22, रंग नीला।
- VIVO Y19, रंग नीला।
- REDMI 14C, रंग काला।
- REDMI A2, रंग काला।
- SAMSUNG GALAXY F06 5G, रंग आसमानी।
- OPPO A77S, रंग पीला, स्क्रीन टूटी हुई।
- REDMI 13C, रंग स्टार्टरल ग्रीन, ऊपर की ओर स्क्रीन टूटी हुई।
- IQOO, रंग पर्ल सफेद, कैमरे के नीचे से बीचो-बीच टूटा एवं पीछे से खुला हुआ।
- ONE PLUS, रंग सलेटी।
- ₹2,000 नगद
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद हीरो स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल, बरामद।

06- बरामद मोबाइल फोन से सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 418/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर से सम्बन्धित ONE PLUS मोबाइल फोन, रंग सलेटी, बरामद हुआ।

VIVO Y22, VIVO Y19, REDMI 14C, REDMI A2, SAMSUNG GALAXY F06 5G,OPPO A77S, REDMI 13C, IQOO उक्त बरामद फोन के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 169/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार पर पंजीकृत किया गया।

07- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शुक्ला, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री सत्यम गुप्ता, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
4. हे0का0 रामू यादव, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
5. कां0 रवीन्द्र कुमार, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।
6. का0 अनुराग यादव, थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1687

दिनांक- 16.09.2026

जोन- मध्य / कोतवाली- हजरतगंज

- थाना हजरतगंज पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.08.2026 को वादिनी मुकदमा/पीडिता द्वारा तहरीर प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया कि विपक्षी अमरनाथ द्वारा आवेदिका/पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्धी आरोप अंकित किये गये हैं। जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस 2023 बनाम अमरनाथ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अभिषेक कुमार तिवारी द्वारा की जा रही है।

उक्त अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमरनाथ की तलाश एवं सुरागरसी पतारसी करते हुए अभियोग में वांछित अभियुक्त अमरनाथ पुत्र राम मनोहर निवासी गांव बैरिया सुर्जनपुर अहिरौली बुजुर्ग थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर उम्र लगभग 37 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 15.9.2026 को समय रात्रि करीब 21.30 बजे 1090 चौराहा हजरतगंज से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अमरनाथ पुत्र राम मनोहर निवासी गांव बैरिया सुर्जनपुर अहिरौली बुजुर्ग थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर

03-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 179/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस 2023 थाना हजरतगंज लखनऊ

04- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री अभिषेक तिवारी थाना हजरतगंज लखनऊ
- का0 अनुराग त्रिवेदी थाना हजरतगंज लखनऊ